कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी पीलीभीत।

पत्रांकः शि०स०/ मान्यता/15284-91 /2016-17 दिनाँकः 30-11/16

प्रबन्धक,

ज्ञान इन्टरनेशनल स्कूल,
वोहना, विकास क्षेत्र मरौरी।

विषयः— निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा18 के प्रयोजन के लिए निशुल्क और अनिवार्य वाल शिक्षा का अधिकार नियम 2010 के नियम 15 के उपनियम (4)के अधीन विद्यालय के लिए मान्यता प्रमाण—पत्र।

आपके द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र और इस संबंध में विद्यालय के साथ पश्चातवर्ती पत्राचार/निरीक्षण के प्रतिनिर्देश से, शासनादेश सं0 419/79—6—2013—18 (20)/91 दिनॉक 08.05. 2013 मे निहित प्रावधानुसार गठित मण्डलीय मान्यता समिति की बैठक दिनॉक 28.11.2016 के निर्णयानुसार मै, **ज्ञान इन्टरनेशनल स्कूल, वोहना, विकास क्षेत्र मरौरी** जनपद पीलीभीत को दिनॉक 01. 04.2017 से 31.03.2020 तक तीन वर्ष की अवधि के लिए कक्षा एन0सी0 से कक्षा 08 तक के लिए अनंतिम मान्यता (अग्रेंजी माध्यम) प्रदान करने की संसूचना देता हूँ।

उपरोक्त की मंजूरी निम्नलिखित शर्तो को पूरा किए जाने के अधीन हैः—

1— मान्यता की मंजूरी विस्तारणीय नहीं है और उसमें किसी भी रूप में कक्षा 08 के पश्चात मान्यता/संबंधन करने के लिए कोई बाध्यता विवक्षित नहीं है।

2— विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (उपबंध) और निःशुल्क और बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2010 (उपवंध 2)के उपबंधो का पालन करेगा।

3— विद्यालय कक्षा 1 में (या यथास्थिति, नर्सरी कक्षा में), उस कक्षा में बालको की संख्या के 25 प्रतिशत तक आस—पड़ोस के कमजोर वर्गो और सुविधा—विहीन समूह के बालको को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हे निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध कराएगा।

4— पैरा—3 में निर्दिष्ट बालको के लिए विद्यालय को अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (2) के उपबंधों के अनुसार प्रतिपूरित किया जाएगा। ऐसी प्रतिपूर्तियां प्राप्त करने के लिए विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा।

5— सोसाइटी/विद्यालय किसी कैपिटेशन शुल्क का संग्रहण नहीं करेगा और किसी बालक या उसके माता पिता या सरांक्षक को किसी स्क्रीनिंग प्रक्रिया के अध्यधीन नहीं करेगी।

6— विद्यालय किसी बालक को, उसकी आयु का सबूत न होने के कारण प्रवेश देने से इंकार नही करेगा और वह अधिनियम की धारा 15 के उपवन्धों का पालन करेगा। विद्यालय निम्नलिखित सुनिश्चित करेगा।

I. प्रवेश दिए गए किसी भी बालक को, विद्यालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक, किसी कक्षा में फेल नहीं किया जाएगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जाएगा।

II. किसी भी बालक को, शारीरिक दंड या मानसिक उत्पीड़न के अध्यधीन नहीं किया जाएगा।

III. प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी।

IV. प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम 25 के आधीन अधिकथित किए गए अनुसार एक प्रमाण—पत्र प्रदान किया जाएगा।

1

PRINCIPAL
GYAN INTERNATIONAL SCHOOL
PILIBHIT

Director
GYAN INTERNATIONAL SCHOOL

V. अधिनियम के उपबधं के अनुसार निःशक्तता ग्रस्त/विशेष आवश्यकताओ वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाना।

VI. अध्यापको की भर्ती अधिनियम की धारा 23(1) के अधीन यथा अधिकथित न्यूनतम अर्हताओं के साथ की जाती है। परन्तु यह और कि विद्यमान अध्यापक, जिनके पास इस अधिनियम के प्रारम्भ पर न्यूनतम अर्हताए नहीं है। पाँच वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हताए अर्जित करेंगे।

VII. अध्यापक अधिनियम की धारा 24 (1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्तव्यों का पालन करता है और।

VIII. अध्यापक स्वंय को किसी निजी अध्यापन कियाकलापों मे नियोजित नही करेगे।

7– विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठयचर्या के आधार पर पाठयकम का पालन करेगा।

8– विद्यालय अधिनियम की धारा–19 में यथाविनिर्दिष्ट विद्यालय के मानको और सनियमों को बनाए रखेगा। अंतिम निरीक्षण के समय रिपोर्ट की गई प्रसुविधाएं निम्नानुसार है:–

<u>विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल</u>

कुल निर्मित क्षेत्र

कीड़ा स्थल का क्षेत्रफल

कक्षाओं की संख्या

प्राध्यापक–संह–कार्यालय–सह भांडागार के लिए कक्ष

बालक और बालिकाओं के लिए पृथक शौचालय

पेयजल सुविधा

मिड–डे–मील पकाने के लिए रसोई

बाधारहित पहुँच

अध्यापन पठन सामग्री/कीडा खेलकूद उपस्करों/पुस्तकालय की उपलब्धता

9– विद्यालय के परिसरों के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर मान्यता प्राप्त कक्षाए नहीं चलाई जाएगी।

10– विद्यालय भवनों या अन्य संरचनाओं या कीड़ा स्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजनों के लिए किया जाता है।

11– विद्यालय को सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1860 (1860 का 21) के आधीन रजिंस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी द्वारा तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित किसी लोक न्यास द्वारा चलाया जा रहा है।

12– स्कूल को किसी व्यष्टि, व्यष्टियो के समूह या संगम या किन्ही अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नहीं चलाया जा रहा है।

13– विद्यालय के लेखाओं की किसी चार्टड एकाउटेंड द्वारा सम्परीक्षा की जानी चाहिए और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए तथा उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार किए जाने चाहिए। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को भेजी जानी चाहिए।

14– आपके विद्यालय को आवंटित मान्यता कोड संख्यां..........................है। कृपया इसे नोट कर लें और इस कार्यालय के साथ किसी पत्राचार के लिए इस संख्यांक का उल्लेख करें।

15– विद्यालय ऐसी रिपोर्ट और सूचना प्रस्तुत करता है जो समय–समय पर शिक्षा निदेशक/जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा अपेक्षित हो और समुचित सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे अनुदेशों का पालन करता है, जो मान्यता संबधी शर्तो के सतत अनुपालन को सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्यकरण की कमियों को दूर करनें के लिए जारी किए जाए।

PRINCIPAL
GYAN INTERNATIONAL SCHOOL
PILIBHIT

Director
GYAN INTERNATIONAL SCHOOL

16– सोसायटी के रजिस्ट्रीकरण के नवीनीकरण यदि कोई हो, को सुनिश्चित किया जाए।

17– आपके द्वारा भविष्य में यदि कोई तथ्य गोपन/असत्यता की स्थिति दृष्टिगोचर होती है अथवा शासन/विभागीय आदेशों का अनुपालन नहीं किया जाता है तो उसके प्रबन्धक/ प्रधानाचार्य को उत्तरदायी मानते हुए नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

(मसऊद अख्तर अंसारी)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
पीलीभीत।

पृ0स0शि0स0/मान्यता / 2016–17 तददिनॉक।

प्रतिलिपि– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1– शिक्षा निदेशक (बे0) उ0प्र0 लखनऊ।

2– सचिव, बेसिक शिक्षा परिषद उ0प्र0 इलाहाबाद।

3– सहायक शिक्षा निदेशक (बे0) तृतीय मण्डल बरेली।

4– जिला समाज कल्याण अधिकारी/जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी/जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी पीलीभीत।

5– खण्ड शिक्षा अधिकारी मरौरी, पीलीभीत।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
पीलीभीत

Pooja Chhabra
PRINCIPAL
GYAN INTERNATIONAL SCHOOL
PILIBHIT

Surendra Singh
Director
GYAN INTERNATIONAL SCHOOL